पार्वती, कालीसिंध परियोजना विवाद खत्म

राज्य ब्यूरो, भोपाल : राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पार्वती. कालीसिंध और चंबल परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का रविवार को पटाक्षेप हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक की और दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय के श्रम शक्ति भवन स्थित कार्यालय में दोनों राज्य और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हो गया। इसके अंतर्गत अब एकीकृत पार्वती, कालीसिंध और चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सात सिंचाई परियोजनाओं का

संघीय संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। परियोजना से लगभग 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही बांधों और बड़े तालाबों में पानी का संचय कर जल-स्तर उटाने में सफलता प्राप्त होगी। यह परियोजना संघीय संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि भविष्य में दोनों राज्यों के रिश्ते और प्रगाढ होंगे।

निर्माण होगा। इससे 13 जिलों में 3.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान के सीएम के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पार्वती, कालीसिंध व चंबल नदियों के जल बंटवारे को लेकर लिए जा रहे निर्णय से दोनों राज्यों के किसानों का जीवन बदलेगा।

यह था विवाद : ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के लिए बांध बनाने व पानी बंटवारे को लेकर मप्र व राजस्थान के बीच विवाद हो गया था। राजस्थान सरकार का आरोप था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार बांध बनना था, लेकिन मप्र सरकार ने एनओसी नहीं दी। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी को पूरा करने का निर्णय लिया और बांध बनना शुरू हुआ तो मप्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी।